



मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड,
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल

निजी अक्षय ऊर्जा शॉप खोलने हेतु लघु विज्ञापन

क्रमांक :- ऊविनि/अ.ऊ.शॉ./2018-19/1497

दिनांक 30.06.2018

अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा दक्ष उत्पादों के प्रचार-प्रसार, विपणन व रखरखाव आदि के लिए चयनित स्थलों पर निजी अक्षय ऊर्जा शॉप खोले जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा के अतिरिक्त, एल.ई.डी. बल्ब एल.ई.डी. ट्यूबलाईट, 5 स्टार रेटिंग पंखे आदि का वितरण करना अनिवार्य है। उक्त वितरण करने पर EESL द्वारा निर्धारित कमीशन देय होगा। ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत, समय-सीमा में चिन्हित जिलों के ग्रामों में भी उजाला योजनान्तर्गत, ऊर्जा बचत उत्पादों का वितरण भी आवश्यक होगा। वितरण कार्य न करने की दशा में, आवंटित शाप निरस्त की जाएगी। निगम द्वारा स्थापित संयंत्रों के रखरखाव आदि भी प्रावधानित है।

विस्तृत शर्तें

115 चयनित स्थलों,
आवेदन प्रपत्र व अन्य
जानकारी निगम की
वेबसाइट से निःशुल्क
डाउनलोड करें।

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल
दूरभाष-0755 2553595, 2556245, फ़ैक्स-0755 2553122
e-mail – aee1.mpuvn1982@gmail.com
Website - www.mprenewable.nic.in

आवेदन प्रपत्र क्रय करने
की अंतिम तिथि 12
जुलाई 2018 दोपहर
1:00 बजे तक एवं प्रपत्र
जमा करने की अंतिम
तिथि 12 जुलाई 2018
शायं 5:30 बजे तक।
स्थल-जिला अक्षय
ऊर्जा कार्यालय

योजना संबंधी संपूर्ण जानकारी एवं आवेदन प्राप्ति एवं जमा करने हेतु जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी से निम्नानुसार मोबाईल पर संपर्क करे व आवेदन पत्र की एक प्रति उल्लेखित ई-मेल पर भेजें।

जिला कार्यालय — भोपाल 9893292928, सीहोर 9425068439, राजगढ़ 9926920193, रायसेन 9425365774, विदिशा 7987510344, होशंगाबाद 9406534414, नरसिंहपुर 9424704394, बालाघाट 9827299722, मुरैना/श्योंपुर 9425116205, ग्वालियर/शिवपुरी 9826226541, गुना 9300607671, रीवा/सतना/सिंगरौली 9425158955, उमरिया/अनूपपुर 9755668701, झाबुआ/अलीराजपुर 9827239152, बडवानी/खरगौन 9827502858, उज्जैन/आगर 9827222217, सागर/दमोह/पन्ना 9424437771, मंदसौर/नीमच/रतलाम 9893845962, देवास 9229924836, भिण्ड 9826408464, धार 9407136260, खण्डवा/बुरहानपुर 9584784884

प्रबंध संचालक



मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि०

(राज्य शासन का उपक्रम)

“ऊर्जा भवन”, मेन रोड नं. 2, शिवाजी नगर, भोपाल

निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु आवेदन प्रपत्र

स्थल जिला

- 1 आवेदक का नाम —
- 2 आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (दस्तावेज संलग्न करें) —
- 3 प्रस्तावित शॉप का नाम —
- 4 स्थापित की जाने वाली शॉप के स्थल का पूर्ण पता —
- 5 स्थापित की जाने वाली शॉप का विवरण :
 - क्या शॉप कंस्ट्रक्टेड/परचेज्ड/रेनोवेटेड/लीज/किराये पर है —
 - प्रस्तावित करपेट एरिया (वर्ग फीट) —
 - प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (वर्ग फीट) —
- 6 यदि पूर्व से अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/ऊर्जा दक्ष उत्पादों से संबंधित कार्य किया जा रहा है तो उसका विवरण टर्न ओवर के साथ (दस्तावेज संलग्न करें) —
- 7 पूर्व वर्ष में टर्नओवर अन्य व्यवसाय से (दस्तावेज संलग्न करें) —
- 8 कम से कम 2 कर्मचारी उनमें से 1 तकनीकी के रूप में दक्ष हो। संयंत्र/उपकरणों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु (दस्तावेज संलग्न करें) —
- 9 टेलीफोन/कम्प्यूटर आदि (दस्तावेज संलग्न करें) —

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। मैंने म०प्र० ऊर्जा विकास निगम द्वारा जारी नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं, एवं मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त आवेदन में दी जानकारी नियम व शर्तों के अनुरूप है व मुझे स्वीकार्य है।

स्थल —

दिनांक —

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पूरा पता

आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 500 मात्र

नोट : आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र क्रय की रसीद, वेबसाइट से डाउनलोड करने पर रूपये 500 का डी.डी. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि० के पक्ष में संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय के जिले के नाम देय हो संलग्न करें। उपरोक्त आवेदन के साथ अन्य दस्तावेज संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म०प्र० ऊर्जा विकास निगम कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करें। आवेदन पत्र की एक प्रति उल्लेखित ई-मेल/हार्ड कॉपी भेजें।

अक्षय ऊर्जा शॉप योजना

उद्देश्य :

प्रदेश में बिजली की माँग एवं प्रदाय के बीच के अंतर को कम करने के लिए, गांव-गांव एवं आम जनता तक विभिन्न अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों जैसे-सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सौर गर्म जल संयंत्र, सौर लाईट सौर पंप, एल.ई.डी. बल्ब, एल.ई.डी. ट्यूबलाईट, 5 स्टार पंखे इत्यादि पहुंच सके, व इसका फायदा ग्रामीणों को मिल सके, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, निजी अक्षय ऊर्जा शॉप खोले जाने की योजना है। अक्षय ऊर्जा शॉप्स खुलने से जहाँ एक ओर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आम जनता लाभान्वित होगी वहीं दूसरी ओर रोजगार की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा।

लाभ :

- आम जन को अक्षय ऊर्जा संयंत्र/उपकरण एवं ऊर्जा दक्ष उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।
- अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के बारे में आम जनता को ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।
- संयंत्रों के विक्रय पश्चात् की सेवा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
- स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों को संयंत्रों व नई-नई तकनीक के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।
- शिक्षित बेरोजगारों द्वारा स्वयं के व्यवसाय प्रारंभ करने में मदद मिलेगी।

संचालन एवं क्रियान्वयन :

- निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन, म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा किया जावेगा।
- म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम के अधीन जिला अक्षय कार्यालय के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।

चयन प्रक्रिया :

- दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से दुकानों का चयन, पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जावेगा।
- विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे एवं प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर अंक पद्धति प्रणाली के माध्यम से चयन किया जायेगा।
- जो उद्यमी है, स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं अथवा अपने व्यवसाय के साथ इस योजना में भागीदारी बन सकते हैं।

आवश्यक मापदंड :

- दुकान हेतु न्यूनतम 100 वर्ग फीट कारपेट एरिया होना आवश्यक है। भण्डारण क्षमता न्यूनतम 100 वर्ग फीट अतिरिक्त होगी।
- शॉप स्वयं/लीज/किराये की होनी चाहिए। स्वयं की दुकान एवं मुख्य बाजार पर होने पर वरीयता दी जावेगी।
- दुकान में न्यूनतम 02 कर्मचारी होना आवश्यक है जिनमें से एक तकनीकी कार्य में दक्ष हो।
- अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों से संबंधित पूर्व से कार्य करने वालों को प्राथमिकता।

अनिवार्य :

एल.ई.डी. बल्ब, एल.ई.डी ट्यूबलाईट, 5 स्टार रेटिंग पंखे व भविष्य में अन्य वितरण कार्य में संलग्न होना अनिवार्य है।

योजना की समीक्षा :

प्रत्येक तीन माह में योजना की समीक्षा की जावेगी। जिन अक्षय ऊर्जा शॉप का कार्य संतोषप्रद नहीं होगा उन शॉप्स को चिन्हित किया जाकर, निगम द्वारा कारणों की समीक्षा की जायेगी व तदनुसार निर्णय लिया जावेगा।

अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश

- 1 अक्षय ऊर्जा शॉप का मुख्य कार्य निम्नानुसार है :
 - विभिन्न अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों एवं ऊर्जा दक्ष उत्पादों एल.ई.डी. बल्ब, एल.ई.डी. ट्यूब लाइट्स, 5 स्टार पंखे इत्यादि का विक्रय व रिप्लेसमेंट।
 - अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की मरम्मत, रखरखाव एवं सर्विसिंग।
 - अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उत्पादों का प्रचार-प्रसार।
 - अक्षय ऊर्जा उत्पादों को बढ़ावा देना।
- 2 शॉप हेतु न्यूनतम 100 वर्ग फीट का कारपेट एरिया होना आवश्यक है। भण्डारण क्षमता न्यूनतम 100 वर्ग फीट अतिरिक्त होगी। शॉप कन्स्ट्रक्टेड/परचेच्ड/रेनोवेटेड/किराये पर होना चाहिये।
- 3 शॉप शहर के व्यावसायिक स्थल पर होना चाहिये।
- 4 शॉप में कम से कम दो कर्मचारी रखना अनिवार्य है, उनमें से एक तकनीकी कार्य में दक्ष हो ताकि संयंत्रों के मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य शॉप के माध्यम से किया जा सके।
- 5 शॉप औनर अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन कर सकता है।
- 6 शॉप व्यावसायिक रूप से व्यापार योग्य हो। अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों जैसे सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट, सोलर वाटर हीटिंग इत्यादि एवं ऊर्जा दक्ष उत्पाद जैसे एल.ई.डी. बल्ब, एल.ई.डी. ट्यूबलाईट, 5 स्टार पंखे, हाई इफिशियेंसी केरोसिन स्टोव्ह, बायोमास कुक स्टोव्ह इत्यादि विक्रय किये जा सकते हैं।
- 7 शॉप द्वारा विक्रय/स्थापित किये गये उत्पादों का मरम्मत, रखरखाव एवं सेवा (सर्विसिंग) देना होगा साथ ही अन्य अक्षय ऊर्जा उत्पाद/संयंत्र जो किसी अन्य माध्यम से विक्रय/स्थापित किये गये हैं उन्हें भी मरम्मत, रखरखाव एवं सेवा (सर्विसिंग) देना होगा।
- 8 शॉप द्वारा प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा उत्पादित किये गये उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उत्पादों/संयंत्रों के विभिन्न माडल को प्रदर्शित करना अनिवार्य है जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार क्रय कर सके।
- 9 शॉप द्वारा रखे गये विभिन्न उत्पादों/संयंत्रों की मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
- 10 ग्राहकों की सुविधा हेतु विभिन्न अक्षय ऊर्जा उत्पादों के लिये बैंक से ऋण प्रदाय हेतु लिंकेज स्थापित करना होगा।

निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की पात्रता हेतु अन्य शर्तें

- 1 निजी अक्षय ऊर्जा शॉप के लिये जारी विज्ञापन के तहत केवल एक व्यक्ति/संस्था द्वारा एक ही लोकेशन पर आवेदन करने के पात्र होंगे।
- 2 पूर्व में जिन व्यक्तियों को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की अक्षय ऊर्जा शॉप कार्यक्रम के तहत म0प्र0 के किसी भी जिले/विकास खण्ड में निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का आवंटन किया जा चुका है वह इस योजना के तहत आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- 3 व्यवसायिक स्थल में अक्षय ऊर्जा शॉप खोलना अनिवार्य है।
- 4 उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त संलग्न वित्तीय प्रक्रियाएं भी उक्त शर्तों का भाग होंगी।
- 5 चयनित अक्षय ऊर्जा शॉप को प्रतिष्ठित कम्पनी के उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उत्पादों एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों के विभिन्न माडल का न्यूनतम स्टॉक प्रदर्शन हेतु शॉप में रखना होगा।

निजी अक्षय ऊर्जा शॉप में विक्रय की जाने वाली सामग्री हेतु वित्तीय प्रक्रियाएं

1. अक्षय ऊर्जा शॉप द्वारा अक्षय ऊर्जा से संबंधित तथा ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का ही विक्रय, सामग्री की स्थापना एवं कमीशनिंग जहाँ आवश्यक होगा किया जावेगा।
2. उक्त शॉप द्वारा उपरोक्त सामग्रियों की मरम्मत इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था की जानी होगी।
3. अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु प्रोप्राइटर/शॉपऑनर का वाणिज्य कर विभाग से टिन नम्बर व सर्विस टेक्स हेतु रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त आयकर विभाग का पेन (PAN) एवं टान (TAN) भी होना आवश्यक होगा।
4. अक्षय ऊर्जा शॉप में पृथक से दूरभाष की व्यवस्था की जानी होगी, इसके अतिरिक्त विद्युत देयक, मेनपावर एवं विविध व्ययों की जानकारी पृथक से संधारित की जानी होगी।
5. सामग्रियों के विक्रय हेतु आवश्यक केश मेमो एवं बिल प्रोप्राइटर/शॉपऑनर द्वारा आवश्यक रूप से जारी किये जावेंगे, जिस पर टिन एवं सर्विस टेक्स का रजिस्ट्रेशन व जी.एस.टी. क्रमांक दर्शित होना आवश्यक है, उक्त पर निगम के नाम का कहीं भी उल्लेख न हो।
6. क्रय पंजी, विक्रय पंजी, लेजर स्टॉक रजिस्टर इत्यादि संधारित किया जाना आवश्यक होगा।
7. उक्त शॉप में होने वाले लेन-देन हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला (आवंटित अक्षय ऊर्जा शॉप के नाम से) जाना होगा जिसमें केवल उपरोक्त सामग्री से संबंधित लेन-देन की राशि आहरित एवं जमा की जा सकेगी।
विक्रय पश्चात विक्रय की सभी औपचारिकतायें जैसे सामग्री की गारंटी एवं नियम अनुसार वैधानिक करों की कटौती एवं संबंधित विभागों में जमा करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उत्तरदायित्व प्रोप्राइटर/शॉपऑनर का होगा।
8. किसी भी दशा में उक्त लेन-देन निगम का नहीं माना जावेगा।
9. निगम के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना राज्य शासन/केन्द्र शासन का अनुदान उपरोक्त सामग्रियों पर नहीं दिया जा सकेगा।
10. शॉप में होने वाली सम्पूर्ण गतिविधियों का निरीक्षण समय-समय पर डी.आर.ई.ओ. द्वारा किया जावेगा जिस हेतु डी.आर.ई.ओ. पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. शॉप से विक्रय की जाने वाली सामग्रियों के दरों का प्रदर्शन दिशा निर्देशों अनुसार किया जाना होगा।

निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की चयन प्रक्रिया

क्र.	विवरण	अंक
1	स्वयं की शॉप	10
2	शॉप – न्यूनतम 100 वर्ग फीट	20
3	भण्डारण क्षमता – न्यूनतम 100 वर्ग फीट	10
4	व्यावसायिक स्थल में शॉप	15
5	यदि पूर्व से अक्षय ऊर्जा/ऊर्जा दक्ष उत्पादों से संबंधित कार्य किया जा रहा है	15
6	विगत 3 वर्षों का टर्न औव्हर अन्य व्यवसाय से	5
7	कम से कम दो कर्मचारी उनमें से एक तकनीकी रूप से दक्ष (मरम्मत एवं रखरखाव हेतु)	15
8	सुविधाये टेलीफोन/कम्प्यूटर/फैक्स एवं अन्य	10
	कुल	100

- टीप –** 1 किराये की शॉप अथवा लीज पर होने पर आवेदित शॉप 5 अंक के पात्र होंगे।
2 यदि कुल प्राप्तांक (परीक्षण उपरांत) सामान होते हैं तो लाटरी के माध्यम से शॉप का चयन किया जावेगा।

UJALA योजना के अन्तर्गत एल.ई.डी. बल्ब, एल.ई.डी. ट्यूबलाइट व 5 स्टार रेटिंग पंखे का वितरण

(अ)

- एल.ई.डी. बल्ब (9 वॉट) – वर्तमान दर रु 70/– पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। 9 वॉट एल.ई.डी. बल्ब की 100 वॉट साधारण बल्ब की तुलना में 91 वॉट की बचत होती है। यदि उपभोक्ता प्रति दिन छः घण्टे बल्ब का उपयोग करता है तो आधी यूनिट (91 वॉट × 6 घण्टे = 546 वॉट-घण्टा यानी 0.546 यूनिट) प्रति दिन की बिजली की बचत होती है। वर्तमान में बल्ब की कीमत रु. 70/– है। अतः मात्र एक माह में ही बल्ब की कीमत वसूल हो जाती है। बल्ब की रिप्लेसमेंट वारंटी 3 वर्ष की है। इनर्जी इफिशियेंसी सर्विसेस लिमिटेड (EESL) जो ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम की एक कम्पनी है द्वारा वितरण के विरुद्ध कमीशन देय होगा।
- एल.ई.डी. ट्यूबलाइट (20 वॉट) – वर्तमान दर रु 220/– पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ट्यूबलाइट बाजार दर से 3 गुना कम कीमत पर है। 20 वॉट की एल.ई.डी. ट्यूबलाइट उतनी ही रोशनी देती है जितनी 40 वॉट की साधारण ट्यूबलाइट। साधारण ट्यूबलाइट में 15 वॉट की चोक भी होती है, जिससे कुल विद्युत खपत 55 वॉट होती है। अतः 35 वॉट बिजली की बचत होती है। 6 घण्टे रोज उपयोग करने पर रु 38/– प्रतिमाह की बचत होगी। इस प्रकार एल.ई.डी. ट्यूबलाइट की कीमत 6 माह में ही वसूल हो जाएगी। रिप्लेसमेंट वारंटी 3 वर्ष की है। इनर्जी इफिशियेंसी सर्विसेस लिमिटेड (EESL) जो ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम की एक कम्पनी है द्वारा वितरण के विरुद्ध कमीशन देय होगा।
- 5 स्टार रेटिंग पंखे (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेंसी (BEE) के मापदण्डों के तहत) – यह रु 1110/– की दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। यह बाजार दर से आधी कीमत पर है। 50 वॉट का यह ऊर्जा दक्ष पंखा 100 वॉट के साधारण पंखे जितना प्रभावी है। 5 स्टार रेटिंग पंखे से बिजली की 50% बचत होती है। इस प्रकार इसके उपयोग से मात्र 10 माह में ही कीमत वसूल होगी। इन पंखों की रिप्लेसमेंट वारंटी ढाई वर्ष की है। इनर्जी इफिशियेंसी सर्विसेस लिमिटेड (EESL) जो ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम की एक कम्पनी है द्वारा वितरण के विरुद्ध कमीशन देय होगा।

(ब) EESL से उनके प्रारूप में अनुबंध करने के पश्चात्, उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमीशन घटाकर अग्रिम राशि EESL के ऑन लाईन खाते में जमा करवाकर, वितरण हेतु सामग्री का प्रदाय किया जाएगा। EESL के ऑन लाईन खाते का विवरण निम्नानुसार है:

Account Title	A/C No.	Bank Name & Address	IFSC Code
EESL-DELP-MP-AUS-Energy Efficiency Services Limited	000705042626	ICICI bank, New Delhi Branch 9A, Phelps, Connaught Place, New Dehi-110001	ICIC0000007

(स) ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत, चिंहित जिलों के ग्रामों के परिवारों को रु. 60/– प्रति एल.ई.डी. बल्ब की दर, वितरण हेतु EESL द्वारा निर्धारित की गई है।

विज्ञापन के अन्तर्गत निजी अक्षय ऊर्जा शॉप्स के स्थलों की सूची

क्र.	विकास खण्ड/स्थल	जिला
1	बुधनी	सीहोर
2	राजगढ़	राजगढ़
3	खिलचीपुर	राजगढ़
4	जीरापुर	राजगढ़
5	नरसिंहगढ़	राजगढ़
6	रायसेन	रायसेन
7	बेगमगंज	रायसेन
8	उदयपुरा	रायसेन
9	गैरतगंज	रायसेन
10	विदिशा	विदिशा
11	कुरवाई	विदिशा
12	नटेरन	विदिशा
13	सिवनी मालवा	होशंगाबाद
14	करेली	नरसिंहपुर
15	चावरपाठा	नरसिंहपुर
16	गोटेगाँव	नरसिंहपुर
17	साईखेड़ा	नरसिंहपुर
18	वारासिवनी	बालाघाट
19	बैहर	बालाघाट
20	लालबर्गा	बालाघाट
21	कटंगी	बालाघाट
22	लांजी	बालाघाट
23	खैरलांजी	बालाघाट
24	परसवाड़ा	बालाघाट
25	पहाड़गढ़	मुरैना
26	जौरा	मुरैना
27	कैलारस	मुरैना
28	विजयपुर	श्यापुर
29	बड़ौदा	श्यापुर
30	भितरवार	ग्वालियर
31	घाटीगाँव	ग्वालियर
32	कोलारस	शिवपुरी
33	पोहरी	शिवपुरी
34	बदरवास	शिवपुरी
35	कुंभराज	गुना
36	रायपुर कर्चुलियान	रीवा
37	सिरमौर	रीवा
38	जवा	रीवा
39	त्योथर	रीवा
40	मझंगवा	सतना
41	उचेहरा	सतना
42	मैहर	सतना
43	रामनगर	सतना
44	मानपुर	उमरिया
45	पाली	उमरिया
46	जैतहरी	अनूपपुर
47	पुष्पराजगढ़	अनूपपुर

48	सिंगरौली	सिंगरौली
49	देवसर	सिंगरौली
50	चितरंगी	सिंगरौली
51	झाबुआ	झाबुआ
52	पेटलावद	झाबुआ
53	थांदला	झाबुआ
54	रामा	झाबुआ
55	राणापुर	झाबुआ
56	अलीराजपुर	अलीराजपुर
57	जोबट	अलीराजपुर
58	भाबरा	अलीराजपुर
59	सोण्डवा	अलीराजपुर
60	उद्यगढ़	अलीराजपुर
61	कट्ठीवाड़ा	अलीराजपुर
62	पाटी	बड़वानी
63	ठीकरी	बड़वानी
64	राजपुर	बड़वानी
65	संधवा	बड़वानी
66	निवाली	बड़वानी
67	सेगांव	खरगोन
68	गोगांवा	खरगोन
69	उज्जैन (न्यू सिटी)	उज्जैन
70	उज्जैन (ओल्ड सिटी)	उज्जैन
71	बड़नगर	उज्जैन
72	नागदा	उज्जैन
73	तराना	उज्जैन
74	घटिया	उज्जैन
75	खाचरोद	उज्जैन
76	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम	भोपाल
77	सुसनेर	आगर
78	नलखेड़ा	आगर
79	बड़ौद	आगर
80	जैसीनगर	सागर
81	शाहगढ़	सागर
82	मालथोन	सागर
83	जबेरा	दमोह
84	पटेरा	दमोह
85	हटा	दमोह
86	पथरिया	दमोह
87	अजयगढ़	पन्ना
88	गरोठ	मंदसौर
89	भानपुरा	मंदसौर
90	सीतामऊ	मंदसौर
91	मल्हारगढ़	मंदसौर
92	नीमच	नीमच
93	जावद	नीमच
94	मनासा	नीमच
95	बाजना	रतलाम
96	पिपलौदा	रतलाम
97	आलोट	रतलाम
98	सैलाना	रतलाम
99	कन्नौद	देवास

100	बागली	देवास
101	खातेगांव	देवास
102	सोनकच्छ	देवास
103	टोंकखुर्द	देवास
104	भिण्ड	भिण्ड
105	मेहगांव	भिण्ड
106	धार	धार
107	खण्डवा	खण्डवा
108	पुनासा	खण्डवा
109	छेगांव माखन	खण्डवा
110	पंधाना	खण्डवा
111	हरसूद	खण्डवा
112	खालवा	खण्डवा
113	बलड़ी (किल्लोद)	खण्डवा
114	बुरहानपुर	बुरहानपुर
115	खकनार	बुरहानपुर

नोट – म.प्र. ऊर्जा विकास निगम, शिवाजी नगर भोपाल की निजी अक्षय ऊर्जा शॉप हेतु कलेक्टर रेट के अनुसार किराया देना होगा।

जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म.प्र. ऊर्जा विकास निगम के पते

<p>1 जिला – भोपाल (शहर) जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. जोन-II गोमती विला, प्लाट न. 273, देना बैंक के पास, भोपाल फोन न. 0755-2572804 मो. 9893292928</p>	<p>2 जिला – सीहोर जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. 91, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पंडित दीनदयाल नगर, सीहोर-466001 मो. 9525068439</p>
<p>3 जिला – राजगढ़ जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. जगन्नाथ मरौलिया का मकान, वार्ड-13, 758/1 पी.टी. कम्पनी के पास, मनकामनेशवर रोड, राजगढ़-465661 मो. 9926920193</p>	<p>4 जिला – रायसेन जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. गुर्जर भवन, प्रथम तल घाटमपुरा, वार्ड-17, रायसेन भोपाल हाईवे, रायसेन-464551 मो. 9425365774</p>
<p>5 जिला – विदिशा जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. सैय्यद अख्तर आलम का भवन, काली कॉलोनी, अहमदपुर चौराहा, सागर रोड़, विदिशा फोन न. 07592-250114 मो. 7987510344</p>	<p>6 जिला – होशंगाबाद जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, मीनाक्षी चौराहा, होशंगाबाद-46101 फोन न. 07574-250168 मो. 9406534414</p>
<p>7 जिला – नरसिंहपुर जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. शोभाराम कोष्टा का भवन, एम.आई.जी. 19, त्रिमूर्ति नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रोटरी पार्क के पास सामने शंकराचार्य वार्ड, नरसिंहपुर-487001 फोन न. 07792-231139 मो. 9424704394</p>	<p>8 जिला – बालाघाट जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. मंजु प्रजापति का भवन क्र.-271 वार्ड-22, शहीद भगत सिंह मार्ग मारडीकर गली प्रेम नगर, बालाघाट-480881 फोन न. 07632-244123 मो. 9827299722</p>
<p>9 जिला – मुरैना एवं श्योपुर जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. रामवीर सिंह तोमर का भवन, एम-430, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरैना-476001 मो. 9425116205</p>	<p>10 जिला – ग्वालियर जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. रामकृष्ण आश्रम के पास, थाटीपुर चौराहा, ग्वालियर-474017 फोन न. 0751-2341608 मो. 9826226541</p>
<p>11 जिला – शिवपुरी जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. देवेन्द्र कुमार जैन का मकान, फतेहपुर टोगरा, ए.बी. रोड के पास, शिवपुरी-473551 मो. 9826226541</p>	<p>12 जिला – गुना जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. रणवीर सिंह रघुवंशी का मकान न.-5 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नानाखेड़ी, गुना-473001 फोन न. 07542-252822 मो. 9300607671</p>
<p>13 जिला – रीवा,सतना एवं सिंगरौली जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. चौरसिया धरमकांटा के बाजू में, आजाद नगर गेट के सामने, रीवा-486001 फोन न. 07662-251405 मो. 9425158955</p>	<p>14 जिला – शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. शिवकुमार चन्देर का भवन न.-127/06, पॉलिटेकनिक कॉलेज के सामने, पांडव नगर, शहडोल-4840101 मो. 9755668701</p>

<p>15 जिला – झाबुआ एवं अलीराजपुर जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. 174, चैतन्य मार्ग, कल्याणपुरा बिल्डिंग, झाबुआ-457661 फोन न. 07392-24829 मो. 9827239152</p>	<p>16 जिला – खरगौन एवं बड़वानी जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. रामयश तिवारी का भवन, एच.बी.-38, नई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, खरगौन-451001 फोन न. 07282-243179 मो. 9827502858</p>
<p>17 जिला – उज्जैन एवं आगर जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. विशाल काम्पलेक्स खण्ड अ, प्रथम तल आर.टी. ओ. आफिस के पास, भरतपुरी, देवास रोड, उज्जैन-456001 फोन न. 0734-2517872 मो. 9827222217</p>	<p>18 जिला – सागर एवं दमोह जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. एच.आई.जी. 27, नारायण हॉस्पिटल के बाजू में पदमाकर नगर, मकरौनियाँ, सागर-47001 फोन न. 07582-232525 मो. 9424437771</p>
<p>19 जिला – छतरपुर एवं पन्ना जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. उप संचालक कृषि के पास, विश्वनाथ कॉलोनी, महोवा रोड, छतरपुर-471001 फोन न. 07682-240567 मो. 9424437771</p>	<p>20 जिला – मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. एल.आई.जी.-22, जनता कॉलोनी, (शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पास) मंदसौर, फोन न. 07422-255873 मो. 9893845962</p>
<p>21 जिला – देवास जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. मकान न. 9, 11 लक्ष्मीबाई पार्क मोती बंगला, गेलरी कम्प्यूटर के समाने, देवास मो. 9229924836</p>	<p>22 जिला – भिण्ड जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. डॉ. हरिशचन्द्र शर्मा का मकान, (जोधपुरा मिष्ठान भण्डार के पास) जिला चिकित्सालय के पास, पुराना पचासा लाईन, कस्बा, भिण्ड-477001 मो. 9826408464</p>
<p>23 जिला – इन्दौर एवं धार जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. प्लाट न. 11, अग्रवाल नग, नई भूमि, इन्दौर-452004 फोन न. 0731-2402003 मो. 9407136260</p>	<p>24 जिला – खण्डवा एवं बुरहानपुर जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि. 01, रमा कॉलोनी, खण्डवा-450001 फोन न. 0733-2233061 मो. 9584784884</p>